न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

करण संख्या 274/2019
ायरी दिनांक : 22.10.2019

उनवान

1 मो0 युसुफ पिता कादरबक्ष कुडागिरी निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2 मोहम्मद रफीक पिता कादरबक्ष कुडागिरी निवासी बीगोद तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3 मेहरून पिता कादरबक्ष कुडागिरी निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4 रईशा पिता कादरबक्ष कुडागिरी निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
5 रूकैया पिता कादरबक्ष कुडागिरी निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
6 जेबुन निशा पिता कादरबक्ष कुडागिरी निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
7 खातुन पिता कादरबक्ष कुडागिरी निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
8 बीबा पत्नी कादरबक्ष कुडागिरी निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

---प्रार्थीगण

बनाम

1 मुनीर सत्तार पिता ईस्माइल जाति कुडागिरी नि0 बीगोद तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

---अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश तम्बोली (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।
3. अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार माण्डलगढ़।

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 08.11.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे सह खाते की **ग्राम बीगोद पटवार मण्डल बीगोद की सरहद में स्थित खाता संख्या 187 की आराजी संख्या 3706/3298 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त आराजियात के पड़ौसी है जो आये दिन सीमाओ को लेकर एवं फसल काश्त करते समय, काटते समय विवाद करते रहते है। इस कारण प्रार्थीगण उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नही रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नही है। नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान करावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

अधिकारी
डलगढ़

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस भेज करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 के बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रार्थीगण के उक्त आराजियात के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही की गई। पत्रावली में संलग्न **जमाबंदी सम्वत 2071–74** के अवलोकन से प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के संयुक्त खातेदार है। पडौसियान का विवाद करने का शपथ पत्र संलग्न है। चूंकि प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमी की पत्थरगढ़ी कराने हेतु निवेदन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर **ग्राम बीगोद पटवार मण्डल बीगोद की सरहद में स्थित खाता संख्या 187 की आराजी संख्या 3706/3298 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि** बशामलात पडौसियान के पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। **कमिश्नर फीस 500/–** रूपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ़ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

आदेश सुनाया गया।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned by CamScanner